न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—25/2019/223 (2019/00025)

श्रीमती नैनी देवी पत्नि रामलाल, जाति तेली, निवासी बिचडली मौहल्ला ब्यावर जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. हेमराज पुत्र रामलाल उर्फ रामा, जाति तेली, नि0 विचडली मौहल्ला, ब्यावर जरिये मुख्त्यारआम ओमप्रकाश पुत्र जीयालाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी शिवगंज कॉलोनी, देलवाड़ा रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।
2. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 14.7.2017 अंतर्गत वाद संख्या 24/2013.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 27.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नयानगर, पटवारी क्षैत्र नया नगर, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर, तहसील ब्यावर में निम्न वर्णित भूमियां खाता संख्या नया 1 पुराना 1 खसरा नंबर नया 1636 पुराना 1121 रकबा 00—19—00 बीघा भूमि स्थित है । वाद में वर्णित आराजियात पुराना खाता नबंर 10 पुराना खसरा नंबर 1121 रकबा 19 बिस्वा की खातेदारी काश्तकार पूर्व में श्रीमती अणछी बेवा छोटू तेली, निवासी ब्यावर थी तथा उक्त आराजी भी जमाबंदी संवत् 2024 से 2028 में श्रीमती अणछी के नाम ही अंकित चली आ रही थी किन्तु भू—संशोधन में गलती से उक्त भूमि को बिलानाम छोड़ दिया गया । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक भू—अभिलेख अधिकारी, ब्यावर ने श्रीमती अणछी के स्वर्गवास के पश्चात् आदेश दिनांक क्रमांक/राजस्व/7220/21 दिनांक 18.8.1979 के द्वारा बिलाना से हटाकर वापिस साबिक खातेदार श्रीमती अणछी के नाम करने की आज्ञा पारित की और पटवारी द्वारा

राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि श्रीमती अणछी के नाम अंकित की गई । श्रीमती अणछी के स्वर्गवास के बाद उसका एकमात्र पुत्र छीतर उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया । तत्पश्चात् छीतर ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.9.1979 के द्वारा वादिया को विक्रय करते हुए उक्त आराजी का वास्तविक एवं भौतिक रिक्त आधिपत्य संभला दिया । उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक ब्यावर के यहां दिनांक 27.10.1979 को पंजीकृत हुआ । तत्पश्चात् भू–संशोधन के दौरान उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 1121 के नये नंबर 1636 रकबा 19 बिस्वा कायम किये गये किन्तु सहवन से उक्त भूमि को वादिया के नाम अंकित नहीं कर उसे निवास स्थान एवं बत्यिां अंकित कर दी जबकि उक्त भूमि वादिया के नाम अंकित किया जाना आवश्यक था । अतः वाद वादिया स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादिया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2017 द्वारा वादिया/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया किये विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 1121 हाल नंबर 1636 रकबा 19 बिस्वा पूर्व में श्रीमती अणछी बेवा छोटू तेली की खातेदारी में दर्ज थी किन्तु भूसंशोधन के समय गलती से उक्त भूमि को बिलानाम छोड़ दिया गया था जिसके संबंध में श्रीमती अणछी के पुत्र छीतर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.8.1979 को बिलानाम से हटाकर वापिस खातेदार अणछी के नाम करने के आदेश दिये थे जिसकी पालना में विवादित आराजी श्रीमती अणछी के नाम खातेदारी में अंकित की गई । श्रीमती अणछी के स्वर्गवास के पश्चात् उसका एकमात्र पुत्र छीतर विवादित आराजियात का खातेदार हो गया था तथा छीतर ने ही विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 26.9.1979 को वादिया/अपीलांट को विवादित आराजी विक्रय कर रिक्त भूमि का कब्जा संभला दिया था तब से वादिया/अपीलांट ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में श्रीमती अणछी के नाम चली आ रही थी जबकि वास्तविक रूप से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट का ही है किन्तु भूसंशोधन के दौरान उक्त आराजी को सहवन से वादिया/अपीलांट के पूर्वाधिकारी के नाम अंकित नहीं कर उसे निवास स्थान एवं बस्तियां अंकित कर दिया गया जबकि उक्त भूमि वादिया के नाम अंकित किया जाना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/अपीलांट के पूर्वाधिकारी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद वास्ते जवाब प्रतिवादी हेतु दिनांक 16.1.2017 तक जैरकार रहा जिस पर वादिया/अपीलांट की मृत्यु होने बाबत् उनके अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये जाने पर वास्ते कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रकरण जेरकार रहा है किन्तु उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने से पूर्व ही राजस्व लोक अदालत के तहत पत्रावली को लिया जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना ही जवाबदावा पत्रावली पर आये बिना वाद को

खारिज करने के आदेश पारित कर दिये जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादपत्र को बिना जवाबदावा लिये एवं बिना तनकियात कायम किये जहां क्षैत्राधिकार का प्रश्न व विधि का मिश्रित प्रश्न है वहां प्रकरण को बिना तनकी कायम निर्णित नहीं किया जा सकता है । भू–प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के पूर्व इंद्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था इसके बावजूद विवादित आराजी को आबादी में मानते हुए अधी0न्याया0 ने अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादिया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2009 (1) डी0एन0जे0 राज0 पेज 230 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.7.2017 को राजस्व लोक अदालत में बिना सुनवाई किए पारित किया गया है जिसके बाबत् प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सूचना नहीं दी गई । प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है जो खाने कमाने के लिये गांव से बाहर गया हुआ था हाल ही में दिनांक 16.12.2018 घर की सफाई में वादपत्र से संबंधित कागज मिलने पर अधिवक्ता से पकरण में की जाने वाली कार्यवाही बाबत् जानकारी चाहने पर उसके अधिवक्ता द्वारा निर्णय होने बाबत् अवगत कराया । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया तथा प्रतियां मिलने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित भूमि प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है तथा आबादी भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का वाद निरस्त किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खाता संख्या 20 में साबिक खसरा नंबर 1121 किस्म आबादी अणछी बेवा छोटू तेली के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 1121 रकबा 19 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1636 बने है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नंबर 1636 किस्म आबादी के रूप में दर्ज है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली–भांति सिद्ध है कि विवादित आराजी प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में आबादी के रूप में दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी आबादी भूमि के रूप में दर्ज है । विवादित आराजी आबादी भूमि होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का

विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती हैं

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर